पत्र संख्या–05 / पी०(के0यो0)–81 / 2023– 26(6) ✓ / स्वा0,

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, रांची।

रांची, दिनांकः– 19-11-2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्गत किए जाने वाली अनुदान की राशि कुल 5,16,70,00,000/– (पाँच अरब सोलह करोड़ सत्तर लाख) रुपए की राशि पर योजना एवं व्यय हेतु स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्गत किए जाने वाली अनुदान की राशि कुल 5,16,70,00,000/– (पाँच अरब सोलह करोड़ सत्तर लाख) रुपए की व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, भारत सरकार के पत्रांक–15(2) FC- XV/FCD/2020-25 दिनांक 16.07.2021 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा (वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26) के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में स्वशासी निकाय के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु संचालन दिशा–निर्देश (Operational Guideline) निर्गत की गयी हैं।

3. यह एक चालू योजना है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1269 दिनांक–21.09.2023 की कंडिका–9 के आलोक में स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

4. मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (SLC) की दिनांक–24.08.2023 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक (कार्यवाही संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए उक्त योजना हेतु बजट की स्वीकृति दी गई हैं, जिसके क्रम में 15वें वित्त आयोग के लिए गठित National Level Committee (NLC) द्वारा निम्नवत् बजट की स्वीकृति प्रदान की गई हैः–

Sl.	Activities	Total Approved Amount by SLC (in Lakh)	Total Approved Amount by NLC (in Lakh)
1	Building- less Sub Health Centre, PHC and CHC	37046	37046
2	Conversion of Rural Sub Health Centre and PHCs to HWCs (AAMs)	1174.44	1174.44
3	Block Public Health units	915.54	915.54
4	Support for Diagnostic Infrastructure to SHCs	3288.9	3287.5
5	Support for Diagnostic Infrastructure to PHCs	969.24	969.24
6	Support for Diagnostic Infrastructure to the Urban Primary Healthcare Facilities	497.28	497.28
7	Urban Health and Wellness Centres (U-HWCs) (UAAMs)	7780	7780
	Grand Total	**51671.4**	**51670**

5. दिनाक–08.04.2025 को 15वें वित्त आयोग हेतु आहूत पंचम राज्य स्तरीय समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 हेतु निर्माण किये जाने वाले 19 BPHU में से Inter Component Adjustment के तहत् 15 BPHU के स्थान पर 22 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्र निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिस पर National Level Committee (NLC) से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक–84(6) दिनांक–31.07.2025 के द्वारा स्वास्थ्य, एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से अनुमोदन/दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त Component Wise राशि पुनः कर्णांकित की जा सकेगी।

(ध्रुव प्रसाद)	(विद्यानंद शर्मा पंकज)	(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।	अपर सचिव।	अपर मुख्य सचिव।

816

6. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–10(06)ब दिनांक–10.06.2025 द्वारा 15वाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 हेतु 1117 स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण हेतु प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र 55,50,000/– (पचपन लाख पचास हजार) रूपये की दर से कुल 6,19,93,50,000/– (छः अरब उन्नीस करोड़ तिरानवे लाख पचास हजार) रूपये की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश में स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु भवन के लिए स्थान चिन्हित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. Record of Deliberations of National Level Committee (NLC) Meeting for the appraisal of proposals from State on FC-XV Health Grants through Local Governments (FY 2021-22 to 25-26) held on 07-02-2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए झारखण्ड राज्य हेतु अनुदान की राशि कुल 5,16,70,00,000/– (पाँच अरब सोलह करोड़ सत्तर लाख) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके क्रम में यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

8. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए अनुदान की राशि कुल 5,16,70,00,000/– (पाँच अरब सोलह करोड़ सत्तर लाख) रुपए की लागत पर स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी।

9. योजना के लिए आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त/संबंधित जिले के नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड होंगे।

10. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा निकासी की राशि को इस प्रयोजन हेतु संधारित बैंक खाता में जमा किया जाएगा, जिसके संचालन हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक–104 (5) दिनांक 14.02.2022 के द्वारा वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करते हुए पूर्व में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

Bank Account से राशि की निकासी/भुगतान/हस्तांतरण PFMS के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. दिनांक–10.12.2021 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय तथा इस क्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक D.O Letter No.-7(20)/2020 NHM-I, दिनांक–31.01.2022 के द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के आलोक में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, निदान एवं अन्य उपभोग्य सामग्रियों की खरीद झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्यूरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, राँची द्वारा एक केन्द्रीयकृत क्रय एजेन्सी के रूप में की जाएगी ताकि मानकीकरण, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता के साथ–साथ एवं उपकरणों के अधिष्ठापन तथा उसके रख–रखाव में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

12. इस संपूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

13. राशि का व्यय करते समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत पत्रों में निहित शर्तों का अवश्यमेव अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

14. राशि की निकासी करने वाले प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाएगा, जिसके आधार पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा पंचायती राज विभाग तथा शहरी विकास एवं आवास विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करते हुए भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा।

(ध्रुव प्रसाद) उप सचिव।	(विद्यानंद शर्मा पंकज) अपर सचिव।	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव।

26(06)ब
19-11-2025

15. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में विभिन्न स्वास्थ्य संरचनाओं के नए निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग संबंधित जिला परिषद्/नगर निकाय के माध्यम से आई०पी०एच०एस० मानकों के अनुसार अनुमोदित प्राक्कलन में प्राक्कलित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप यथा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा।

इस क्रम में संबंधित जिला परिषद/नगर निकाय के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत की गयी योजना का कार्यान्वयन किसी अन्य योजना से नहीं किया जा रहा है ताकि योजना के दोहरीकरण की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके।

16. योजनाओं के कार्यान्वियन से संबंधित सभी एजेन्सियों के द्वारा इस प्रयोजन हेतु संधारित बैंक खाता के माध्यम से किया जाएगा।

17. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के लिए आवश्यक मानव बल की भर्ती यथा चयनित एजेन्सी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाएगी।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाने वाली आवश्यक मानवबल को भर्त्ती की प्रकिया पर किए जाने वाले व्यय का वहन किया जाएगा।

विभिन्न मानव संसाधनों की आउटसोर्सिंग के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्थापित झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्युरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, राँची के माध्यम से आवश्यक निविदा दस्तावेज तैयार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

18. सेवाएँ प्रदान करने वाले मानव संसाधन को अनुमान्य मासिक मानदेय का भुगतान संबंधित जिले की जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया जाएगा।

19. उक्त योजना के तहत स्वास्थ्य उपकेन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में सम्परिवर्तित किया जाना है, जिसके लिए आवश्यक राशि को संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को हस्तान्तरित किया जाएगा।

साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा क्रियान्वित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में सम्परिवर्तित की अनुवर्त्ती योजनाओं के साथ इसका दोहरीकरण न हो।

20. स्वास्थ्य अनुदान के कार्यान्वयन एवं निगरानी से संबंधित कार्य के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन गठित किए गए एक राज्य स्तरीय पी०एम०यू० (Programme Monitoring Unit) के माध्यम से किया जायेगा।

21. 15वें वित आयोग द्वारा अनुशंसित स्वास्थ्य अनुदान के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्गत तकनीकी एवं संचालन दिशा निर्देशों (Technical and Operational Guidlines of XV-FC Health Grant) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

22. इस योजना के व्यय का विकलन केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के अधीन निम्नांकित बजट शीर्ष अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगाः–

क्र०	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत राशि
1	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–89–15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान–06–अनुदान– 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) **(20सी –2210–01–110–89–01–06–79)**	3203540000
2	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–89–15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) **(20सी –2210–01–789–89–01–06–79)**	620040000
3	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–89– 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) **(20सी –2210–01–796–89–01–06–79)**	1343420000
	कुल योग	**5167000000**

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव।

(विद्यानंद शर्मा पंकज)
अपर सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

23.योजनाओं का क्रियान्वयन कराते समय उनकी गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु उच्चतम मानदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन/उनकी गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए संबंधित पदाधिकारी/तकनीकी पदाधिकारी एवं अभिकर्ता भी सामान रूप से उत्तरदायी होंगे।

24. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/वि० दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

25. वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प सं0–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात विपत्र कोषागार में कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप संबंधित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

26. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए उसकी एक प्रति स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

27. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जांच पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

28. वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प सं0–759/वि० दिनांक 20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

29. संबंधित कोषागार पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प सं0–759/वि० दिनांक 20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित किया जायेगा।

30. इस संबंध में 15वें वित्त आयोग हेतु आहूत चतुर्थ एवं पंचम राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

31. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री अनुमोदन प्राप्त है।

32. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 26(06)व रांची, दिनांकः 19-11-2025

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची।
4. प्रधान सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।
5. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
6. सी०ई०ओ०–सह–निदेशक, राँची स्मार्ट सिटी निगम।
7. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड।
8. सभी उपायुक्त, झारखण्ड।
9. अभियान निदेशक, झारखण्ड स्वास्थ्य मिशन नामकुम, राँची
10. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागकुम, राँची।

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव।

(विद्यानंद शर्मा पंकज)
अपर सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

11. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
12. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वा०, चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड, राँची।
13. सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड।
14. सभी जिले के नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड।
15. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची।
16. राज्य आर०सी०एच० पदाधिकारी नामकुम, राँची।
17. सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड।
18. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वा०, चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड, राँची।
19. सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड।
20. प्रभारी पदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, स्वा०, चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26(6) 19-11-2025

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव।

(विद्यानंद शर्मा पंकज)
अपर सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।